

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): Anti Corruption Bureau, Haryana P.S. (थाना): ACB, Gurugram Year (वर्ष): 2023

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0035

Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):

06/09/2023 14:31 hrs

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7A

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1 Day (दिन): Wednesday

Date from (दिनांक से):

06/09/2023

Date To (दिनांक तक):

06/09/2023

Time Period (समय अवधि): Pahar 5

Time From (समय से): 12:30

hrs

Time To (समय तक): 12:45

hrs

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 06/09/2023 Time (समय): 12:45 hrs

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (प्रविष्टि सं.):

011

Date and Time

(दिनांक और समय):

06/09/2023 14:13

hrs

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

5. Place of Occurrence

(घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): EAST, 2 Km(s) Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता): आबकारी एवम कराधान विभाग GGM,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): SURESH KUMAR

(b) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 07/11/1968

(d) Nationality (राष्ट्रियता): INDIA

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g)

ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)
------------------	--------------------------------	--------------------------

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address
(पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	SONIPAT, SONIPAT SADAR, SONIPAT, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	SONIPAT, SONIPAT SADAR, SONIPAT, HARYANA, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष सं.): Mobile (मोबाइल सं.): 91-9999512721

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	अनिल कुमार अनुबन्धित चपडासी			1. वार्ड न0 07 दक्षिण,आबकारी एवं कराधान विभाग, GGM,GURUGRAM,HARYANA,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)
------------------	--------------------------------

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

सेवा में, प्रबन्धक अफसर, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरुग्राम मण्डल, गुरुग्राम। विषय:- प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने बारे। श्रीमान जी, 1. निवेदन यह है कि जांच क्रमांक 06 दिनांक 12.07.2021 गुरुग्राम मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चौकसी विभाग कार्यालय के पत्र क्रमांक 33/04/2021-3चौ0-1 दिनांक 05.02.2021 व महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो हरियाणा पंचकुला कार्यालय के पृष्ठ क्रमांक 10617/आई0-2/रा0चौ0ब्यू0(ह0) दिनांक 12.07.2021 के अनुसार शिकायत के आधार पर दर्ज हुई थी। जिसमें शिकायतकर्ता श्री विवेक

जोहर कि लिखित शिकायत के अनुसार आरोप यह है कि आबकारी एवं कराधान आयुक्त, गुरुग्राम कार्यालय के कर्मचारी अनिल कुमार चपडासी (अनुबन्धित) द्वारा शिकायतकर्ता की फर्म Tetraboll Advisors LLP सैक्टर 47, गुरुग्राम को जी0एस0टी0 नम्बर जारी करने के लिए फिजीकली वैरीफाई करने की एवेज में रिशवत की मांग की गई। जिसकी आडियो रिकार्डिंग भी उसने पेश की।

2.1 जांच की पड़ताल से पाया गया कि M/s Tetraboll Advisors LLP, SS Plaza SCO No. 216 II Floor Sector 47 Gurugram द्वारा दिनांक 07.10.2020 को GST नम्बर प्राप्त करने के लिए आबकारी एवं कराधान विभाग गुरुग्राम को ऑनलाईन अप्लाई किया था। उपरोक्त कम्पनी द्वारा किया गया ऑनलाईन आवेदन दिनांक 09.10.2020 को आबकारी एवं कराधान विभाग Portal पर प्राप्त हुआ। विभाग द्वारा दिनांक 15.10.2020 को यह अप्लीकेशन बगैर फिजीकल वैरिफिकेशन हुए हरियाणा वस्तु एवं सेवा अधिनियम 2017 के प्रावधानों के अनुसार आटो Approve हो गई व फर्म को GST नम्बर मिल गया। जिसकी फिजीकल वैरिफिकेशन करवाने के लिए ETO आबकारी एवं कराधान गुरुग्राम ने निरीक्षक कृष्ण कुमार को नियुक्त किया। दिनांक 26.11.2020 को निरीक्षक कृष्ण कुमार कार्यालय के अनिल कुमार, अनुबन्धित चपडासी की मोटर साईकिल पर बैठ कर M/s Tetraboll Advisors LLP, SS Plaza SCO No. 216 II Floor Sector 47 Gurugram द्वारा दिये गये पते पर जाकर फिजीकल निरीक्षण किया गया। निरीक्षक कृष्ण कुमार के कथन अनुसार उसे मोटर साईकिल चलानी नहीं आती थी इसलिए वह अपने साथ अनिल अनुबन्धित चपडासी को लेकर गया था। कृष्ण कुमार निरीक्षक ने अपनी फिजिकल रिपोर्ट में अंकित किया की उपरोक्त फर्म मौका पर अस्तित्व में नहीं है। जिस पर श्री अरुण गौड़ ETO आबकारी एवं कराधान गुरुग्राम द्वारा दिनांक 17.12.2020 को उपरोक्त फर्म को ऑनलाईन नोटिस भेजकर दिनांक 27.12.2020 तक जवाब देने को कहा। श्री अरुण कुमार गौड़ ETO के कहने पर निरीक्षक कृष्ण कुमार 24.12.2020 को फिर से वैरिफिकेशन करने गया था।

2.2 निरीक्षक कृष्ण कुमार आबकारी एवं कराधान विभाग गुरुग्राम को मोटर साईकिल नहीं चलानी आती थी इसलिए वह अनिल कुमार चपडासी की मोटर साईकिल पर बैठकर दिनांक 24.12.2020 को दौबारा M/s Tetraboll Advisors LLP कार्यालय में वैरिफिकेशन करने के लिए गया था। निरीक्षक कृष्ण कुमार की मौका रिपोर्ट के अनुसार फर्म के कार्यालय में कुर्सी मेज लगी हुई मिली व एक व्यक्ति बैठा हुआ मिला तथा शीशे के गेट पर M/s Tetraboll Advisors LLP लिखा हुआ मिला। श्री अरुण गौड़ ETO आबकारी एवं कराधान विभाग गुरुग्राम द्वारा भी दिनांक 28.12.2020 को निरीक्षक कृष्ण कुमार की वैरिफिकेशन रिपोर्ट को क्रॉस वैरिफाई करने के लिए फर्म का निरीक्षण किया जाना पाया गया है। विवेक जोहर साझेदार M/s Tetraboll Advisors LLP और अनिल कुमार चपडासी की 22.12.2020 व 24.12.2020 को फोन पर बात होनी पाई गई। फर्म M/s Tetraboll Advisors LLP द्वारा समय पर नोटिस का जवाब न देने के कारण फर्म का GST नम्बर दिनांक 31.12.2020 को कैंसिल कर दिया।

2.3 दिनांक 06.01.2021 को M/s Tetraboll Advisors LLP ने Revocation के लिए ऑनलाईन आवेदन किया जिसको ठीक मान कर उसी दिन दिनांक 06.01.2021 को ही फर्म का GST नम्बर चालू कर दिया।

2.4 शिकायतकर्ता विवेक जोहर के कथनानुसार दिनांक 24.12.2020 को अनिल कुमार व उसका एक साथी जिसने अपना नाम सुभाष बतलाया, M/s Tetraboll Advisors LLP, SS Plaza SCO No. 216 II Floor Sector 47 Gurugram के कार्यालय में आए और सुभाष ने 20,000/रुपये की रिशवत की मांग की। जबकि आबकारी एवं कराधान आयुक्त गुरुग्राम (दक्षिण) के पत्र क्रमांक 1263 दिनांक 08.09.2021 के अनुसार सुभाष नाम का कोई भी कर्मचारी आबकारी एवं कराधान विभाग गुरुग्राम में नियुक्त नहीं पाया गया। अनिल कुमार चपडासी के साथ निरीक्षक कृष्ण कुमार आबकारी एवं कराधान विभाग गुरुग्राम वैरिफिकेशन के लिए दिनांक 24.12.2020 जाना पाया गया है। अतः कृष्ण कुमार ने झूठ बोला तथा अपना नाम सुभाष बतलाया।

2.5 शिकायतकर्ता विवेक जोहर साझेदार M/s Tetraboll Advisors LLP की शिकायत व कथनानुसार आरोपी अनिल कुमार को आबकारी एवं कराधान विभाग गुरुग्राम का Insp. दर्शाया है जो जांच के दौरान अनिल कुमार, आबकारी एवं कराधान विभाग गुरुग्राम में डी.सी. रेट का अनुबन्धित चपडासी पाया गया है। शिकायतकर्ता विवेक जोहर ने एक शिकायत विरुद्ध अनिल कुमार T.I.] आबकारी एवं कराधान विभाग गुरुग्राम द्वारा उपरोक्त फर्म का दौबारा GST नम्बर शुरू करने लिए रिशवत में 20,000/रुपये की मांग करने बारे कमिशनर आबकारी

एवं कराधान विभाग चण्डीगढ़ को दी थी जिस पर अरुण गौड़ ETO आबकारी विभाग गुरुग्राम की सिफारिश पर D.E.T.C गुरुग्राम द्वारा अनिल कुमार, अनुबन्धित चपरासी को विभाग से निष्कासित कर दिया। शिकायतकर्ता विवेक जोहर व अनिल कुमार अनुबन्धित चपरासी के मोबाईल नम्बरो की प्राप्त शुद्ध काल डिटेल के अवलोकन से शिकायतकर्ता विवेक जोहर द्वारा दिनांक 22.12.2020 को अनिल कुमार से 558 सैकेण्ड तथा दिनांक 24.12.2020 को अनिल कुमार, अनुबन्धित चपरासी द्वारा शिकायतकर्ता विवेक जोहर से 123 सैकेण्ड बात करनी पाई गई है। शिकायतकर्ता विवेक जोहर ने अनिल कुमार, अनुबन्धित चपरासी के साथ हुई बातचीत की रिकार्डिंग CD में पेश की है। जिसमें अनिल कुमार चपरासी शिकायतकर्ता विवेक जोहर से कार्य करवाने की एवेज में कह रहा है कि “ हा वो सेवा पानी कर जायेगा तो करवा देगे”

2.6 अनिल कुमार चपरासी ने दिनांक 22.12.2020 को विवेक जोहर को फोन करके कम्पनी की तरफ से किसी व्यक्ति को फिजिकली आकर फार्म भरने के लिए कहा। जबकि ऐसा कोई फार्म फिजिकली नहीं भरना था इससे स्पष्ट है कि अनिल कुमार चपरासी की नियत सही नहीं थी तथा वह रिशवत लेने के लिए उन्हें फिजिकली आने को कह रहा था।

2.7 अनिल कुमार चपरासी को ना केवल फर्म M/s Tetraboll Advisors LLP के लोगो के मोबाईल नम्बर पता थे बल्कि उसे फर्म M/s Tetraboll Advisors LLP द्वारा जमा किये गये व बकाया दस्तावेजों का भी ज्ञान था। अतः अनिल कुमार चपरासी GST नम्बर तसदीक करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया को न केवल जानता था बल्कि वह इस केस को कृष्ण कुमार कर निरीक्षक की तरफ से Deal भी कर रहा था। ऐसा निरीक्षक कृष्ण कुमार की सहमति के बिना सम्भव नहीं हो सकता था।

2.8 अनिल कुमार चपरासी व विवेक जोहर मालिक M/s Tetraboll Advisors LLP की बातचीत से स्पष्ट है कि अनिल कुमार चपरासी M/s Tetraboll Advisors LLP के मालिकों से GST नम्बर की तसदीक के नाम पर रिशवत लेना चाहता था।

2.9 अनिल कुमार चपरासी व विवेक जोहर की बातचीत में अनिल व विवेक को GST नम्बर दौबारा चालू करवाने के लिए बातचीत करवाने की कहता है कि “ साहब से बात करवानी पड़ेगी ऐसे थोड़ा खुलेगा अभी “। अतः स्पष्ट है कि अनिल चपरासी कृष्ण कर निरीक्षक के दलाल के रूप में कार्य कर रहा था।

2.10 अनिल कुमार चपरासी व विवेक जोहर की बातचीत में अनिल चपरासी कहता है कि “ देखो जाके चैक किया वहां बन्द पड़ा था और मैंने क्लोज की रिपोर्ट करवा दी “। इस बातचीत से स्पष्ट है कि कृष्ण, कर निरीक्षक व अनिल कुमार चपरासी मिलकर काम कर रहे थे तथा अनिल का कार्य केवल चपरासी का नहीं था बल्कि वह कर निरीक्षक कृष्ण कुमार के एक दलाल के रूप में भी काम कर रहा था।

2.11 शिकायतकर्ता विवेक जोहर व मुनेश बाबु द्वारा अंकित कराये गये कथनों में अनिल कुमार अनुबन्धित चपरासी, आबकारी विभाग गुरुग्राम द्वारा फोन पर 20,000/-रुपये रिशवत मांगने बारे आरोप लगाये गये हैं। शिकायतकर्ता विवेक जोहर द्वारा प्रस्तुत की गई सीडी0 में मौजूद शिकायतकर्ता व अनिल कुमार चपरासी की बातचीत की विवरणी के अवलोकन से पाया गया कि अनिल कुमार चपरासी द्वारा शिकायतकर्ता के कार्य को करवाने की एवेज में कहा गया है कि “ हा वो सेवा पानी कर जायेगा तो करवा देंगे “। जो अनिल कुमार अनुबन्धित चपरासी पुत्र जय सिंह निवासी मिरान तहसील तोशाम जिला भिवानी ने निरीक्षक कृष्ण कुमार आबकारी एवं कराधान विभाग, गुरुग्राम की सहमति से शिकायतकर्ता के मोबाईल पर उसका जी0एस0टी0 नम्बर जारी करवाने की एवेज में रिशवत मांगी थी। शिकायतकर्ता से उसका कार्य करवाने की एवेज में रिशवत की मांग करने में निरीक्षक कृष्ण कुमार व अनिल कुमार अनुबन्धित चपरासी की आपस में मिलीभगत पाई गई है। अतः मन निरीक्षक द्वारा निरीक्षक कृष्ण कुमार, आबकारी एवं कराधान विभाग, गुरुग्राम व अनिल कुमार अनुबन्धित चपरासी के विरुद्ध भ्रष्टाचार उन्मूलन अधिनियम की धारा 7 व 7ए के अनुसार अभियोग अंकित किये जाने का सुझाव दिया गया। इसके अतिरिक्त अभियोग के अनुसंधान के दौरान यदि किसी अन्य कर्मचारी या अन्य व्यक्ति की संलिप्ता पाई जावे तो उसे भी अनुसंधान के दौरान देख लिये जाने का सुझाव दिया जाकर जांच रिपोर्ट मय रिकार्ड नियमानुसार महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक

ब्यूरो, हरियाणा पंचकुला के कार्यालय में भेजी गई।

2.12 इसके उपरान्त महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा पंचकुला कार्यालय के पत्र क्रमांक 5410/आई0-2/भ्र0नि0ब्यू0(ह0) दिनांक 07.04.2023 के अनुसार उक्त जांच मय रिकार्ड वापिस इस कार्यालय में प्राप्त हुई है, जिसमें निर्देशित है कि “ For taking further action as per recently circulated instruction as the matter falls under the purview of Divisional ACB” A जिसकी पालना करते हुए जांच रिपोर्ट धारा 17ए पी0सी0 एक्ट की अनुमति हेतु आयुक्त मण्डल, गुरुग्राम को भेजी गई। आयुक्त मण्डल, गुरुग्राम कार्यालय के पृष्ठ क्रमांक जी0ए0/2023/3264-66 दिनांक 14.08.2023 के अनुसार आरोपी अनिल कुमार अनुबन्धित चपडासी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 17ए के अन्तर्गत अभियोग अंकित करने की स्वीकृति जारी की गई। अतः निर्देश की पालना में आरोपी अनिल कुमार तत्कालीन अनुबन्धित चपडासी कार्यालय आबकारी एवं कराधान विभाग, गुरुग्राम वार्ड न0 07 (दक्षिण) के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 की धारा 7ए के अन्तर्गत अभियोग दर्ज करने हेतु व अनुसंधान के दौरान किसी अन्य कर्मचारी/अधिकारी की संलिप्तता पाई जावे तो उसे भी अनुसंधान में शामिल करने हेतु ड्राफ्ट तहरीर तैयार करके अनुमोदन हेतु पुलिस अधीक्षक, भ्र0नि0ब्यू0, गुरुग्राम कार्यालय के पत्र क्रमांक 3787/भ्र0नि0ब्यू0 दिनांक 28.08.2023 के अनुसार, मुख्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा पंचकुला भेजी गई। मुख्यालय भ्र0नि0ब्यू0, हरियाणा पंचकुला कार्यालय के पत्र क्रमांक 14605/आई0-2/भ्र0नि0ब्यू0 दिनांक 31.08.2023 के अनुसार तहरीर अनुमोदन होकर प्राप्त होने के बाद पुलिस अधीक्षक, भ्र0नि0ब्यू0, गुरुग्राम मण्डल, गुरुग्राम द्वारा मन निरीक्षक को अभियोग अंकित करने के लिये तहरीर मार्क की है। आज मैं हाजिर कार्यालय भ्र0नि0ब्यू0, गुरुग्राम हूँ कि आरोपी अनिल कुमार अनुबन्धित चपडासी के खिलाफ धारा 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अन्तर्गत अभियोग अंकित करने के लिए लेख तैयार करके ई0एस0आई0 अतर सिंह न0 178/रेवाडी के माध्यम से थाना भ्र0नि0ब्यू0 गुरुग्राम भेजा जा रहा है। अभियोग अंकित करके अभियोग संख्या से सूचित किया जावे। अभियोग की स्पेशल रिपोर्ट नियमानुसार स्पेशल वाहक के माध्यम से ईलाका मैजिस्ट्रेट व उच्च अधिकारियों को भिजवाई जावे। SD SURESH KUMAR (निरीक्षक सुरेश कुमार) भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरुग्राम मण्डल, गुरुग्राम । दिनांक - 6.9.2023 at - 12.30 PM अज थाना - आमदा तहरीर पर मुकदमा हजा बा जुर्म मजकुर दर्ज रजिस्टर किया गया । FIR की प्रतिया CCTNS द्वारा तैयार की गई । जो सेवा मे ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब व अफसरान बाला को नियमानुसार भेजी जायेगी एक प्रति FIR बतौर स्पेशल रिपोर्ट इलाका मैजिस्ट्रेट साहब गुरुग्राम बदस्त ESI अतर सिंह न0 178/रेवाडी के भेजी जा रही है । मुकदमा हजा की असल मिशल पुलिस मय आमदा तहरीर बराये तपतीश उच्च अधिकारियों के आदेश अनुसार नि0 रणवीर सिंह न0 330/फरीदाबाद भ्र0नि0ब्यू0 गुरुग्राम के पास भेजी जा रही है । आरिन्दा ESI अतर सिंह न0 178/रेवाडी के हवाले की गई ।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):
/ or (या)

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): ranveer Rank (पद): I (Inspector)
singh

No. (सं.): 330 to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Jaipal

Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): 94

14. Signature / Thumb impression
of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के
हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7

संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	01/01/1977				
						Is pox pitted: Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)